सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करण सिंह गोठवाल, आर.ए.एस.

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 27/2014

राज्य सरकार जरिये श्री विजेन्द्रपाल, प्रवर्तन अधिकारी(अभि.) श्रीगंगानगर
प्रार्थी

बनाम

प्रकाश कुमार पुत्र लालचन्द निवासी उदाराम चौक, पुरानी आबादी श्रीगंगानगर (नीलकण्ठ होटल, उद्यम सिंह चौक के पास, श्रीगंगानगर)

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी स्वयं उपस्थित

निर्णय **दिनांक : 18.09.2015**

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार जरिये श्री विजेन्द्र पाल, प्रवर्तन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 6 ए आ0व0अधि0 1955 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि दिनांक 17.09.2014 को गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिए उद्यम सिंह चौक पर स्थित नीलकण्ठ होटल पर जॉच हेतु प्रवर्तन अधिकारी, मय हमराह प्रवर्तन स्टाफ पहुंचे। वक्त जांच मौके पर प्रकाश कुमार पुत्र लालाचन्द उपस्थित मिला, जिसने स्वंय को दुकान का कार्यकर्त्ता होना बताया। वक्त जांच दुकान की तलाशी लेने पर दो घरेलू एलपीजी सिलेण्डर एक ओई ओसी कम्पनी व एक बीपीसी कम्पनी का कम्पनी के चूल्हे से जुडा चालू हालत में व्यवसायिक उपयोग करते मिला। जांच के वक्त दुकान पर चाय, खाना व मिठाई आदि बनाकर बेचने का कार्य किया जा रहा था एवं उपभोक्ताओं से सामग्री का मूल्य वसूल किया जा रहा था। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण मौके पर दो अनुदानित गैस सिलेण्डर को बतौर वजह सबूत सीज किया जाकर श्री पंकज नागपाल पुत्र रमेश नागपाल संचालक मै. गगन गैस एजेन्सी, श्रीगंगानगर सुपुर्दगी में दिये गये। फर्द जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौका पर बनाया गया।

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस एवं सिलैण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(सी) व 4(1)(ए) की स्पष्ट अवहेलना की गई है। अतः सीजशुदा दो अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.5 किलो गैस को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

ते. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

खिलाफ संज्ञान लिया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया था तथा परिवाद का जवाब पेश किया।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 17.09.2014 को गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिए उद्यमसिंह चौक के पास स्थित नीलकण्ठ होटल पर जॉच हेतु प्रवर्तन अधिकारी, मय हमराह प्रवर्तन स्टाफ पहुंचे। वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी स्वयं हाजिर मिला जिसने स्वंय को दुकार का कार्यकर्त्ता होना बताया। वक्त जांच होटल में दो एलपीजी घरेलू गैस सिलेण्डर जो एलपीजी सिलेण्डर एवं एक आईओसी कम्पनी का चूल्हे से जुडा चालू हालत में व्यवसायिक उपयोग करते मिला। जांच के वक्त दुकान पर चाय, खाना व मिठाई आदि बनाकर बेचने का कार्य किया जा रहा था एवं उपभोक्ताओं से सामग्री का मूल्य वसूल किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण मौके पर एक अनुदानित गैस सिलेण्डरों को बतौर वजह सबूत सीज किया जाकर श्री पंकज नागपाल पुत्र रमेश नागपाल संचालक मै. गगन गैस एजेन्सी, श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिये गये। फर्द जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौका पर बनाया गया।

अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस एवं सिलैण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(सी) व 4(1)(ए) की स्पष्ट अवहेलना की गई है। सीजशुदा दो अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डरों को मय 6.5 किलो गैस को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी ने अपने जवाब में कथन किया है कि उसके द्वारा खाना सिर्फ स्वयं के लिए बनाते है। दुकान का नाम नीलकण्ठ होटल न होकर नीलकण्ठ स्वीट्स है। अतः कारोबार खाना बेचने का न होकर, मिठाई बेचने का है। व्यवसायिक कार्य हेतु सदैव व्यवसायिक सिलेण्डर का उपयोग करते है। अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया गया है। नियमों की अवहेलना नही की है। अतः सीजशुदा घरेलू अनुदानित गैस सिलेण्डर वापिस लौटाये जावें। बहस के दौरान अप्रार्थी ने उक्तजवाब को ही अपनी बहस बताया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 17.09.2014 को गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिए उद्यम सिह चौक के पास नीलकण्ड होटल में जॉच हेतु प्रवर्तन अधिकारी, मय हमराह प्रवर्तन स्टाफ पहुंचे। वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी स्वयं हाजिर मिला जिसने स्वंय को दुकान का कार्यकर्त्ता होना बताया। वक्त जांच होटल की तलाशी लेने पर दो घरेलू सिलेण्डर एलपीजी सिलेण्डर एक आईओसी कम्पनी व एक बीपीसी कम्पनी का चूल्हे से जुडा चालू हालत में व्यवसायिक उपयोग करते मिला। जांच के वक्त दुकान में चाय, खाना व मिठाई आदि बनाकर बेचने का कार्य किया जा रहा था एवं

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

उपभोक्ताओं से सामग्री का मूल्य वसूल किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग होता पाये जाने के कारण मौके दो अनुदानित गैस सिलेण्डरों को बतौर वजह सबूत सीज किया जाकर श्री पंकज नागपाल पुत्र रमेश नागपाल संचालक मै. गगन गैस एजेन्सी, श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिये गये। फर्द जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौका पर बनाया गया, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इसप्रकार अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस एवं सिलैण्डरों का व्यवसायिक उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(सी) व 4(1)(ए) की स्पष्ट अवहेलना की गई है।

फलस्वरूप, अप्रार्थी से जब्त शुदा दो अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर मय 6.5 किलो गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

18/9/15

(करण सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)